रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 1979/माघ 11, 1900

No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 1979/MAGHA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1979

आदेश

का. आ. 61 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि 15 नवम्बर, 1978 को उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, लकसर में स्थित चीनी का विनिर्माण करने वाली राय बहादुर नारायण सिंह चीनी मिल लिमिटेड (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त चीनी उपक्रम कहा गया है) 15 नवम्बर, 1978 तक चीनी का विनिर्माण प्रारम्भ करने में असफल रही है :

और उक्त उपक्रम के पास नवम्बर, 1978 के पूर्व क्रय किए गए गन्ने के सम्बन्ध में, गन्ना सम्बन्धी देय, चीनी वर्ष 1977-78 के दौरान उक्त चीनी उपक्रम के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार क्रय किए गए गन्ने की कुल कीमत के दस प्रतिशत से अधिक बकाया है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त चीनी उपक्रम के स्वामी को चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन 19 और 22 नवम्बर, 1978 को सूचना चीनी 144/78-79 जारी की थी जिसमें उससे यह कहा गया था कि उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर उन परिस्थितियों को लिखित रूप में बताए, जिनके कारण उक्त चीनी उपक्रम,—

(1) 15 नवम्बर, 1978 को या उसके पूर्व चीनी का विनिर्माण प्रारम्भ करने में असफल रहा है ; तथा

(2) गन्ना सम्बन्धी देयों के बकाया को चुकता करने में असफल रहा है,

और इस बाबत कारण बताए कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा क्यों न ग्रहण कर लिया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त चीनी उपक्रम की ओर से निदेशक द्वारा भेजी गई, तारीख 27 नवम्बर, 1978 की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, अपने आदेश सं. चीनी 144/78-79, तारीख 14 दिसम्बर, 1978 में यह शर्त विनिर्दिष्ट की थी जिसमें उक्त उपक्रम गन्ना सम्बन्धी देयों की उक्त बकाया को तीन किस्तों में चुका दे। 58.83 लाख रुपए की पहली किस्त 28 दिसम्बर, 1978 तक चुकता की जानी थी।

और उक्त चीनी उपक्रम ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख 28 दिसम्बर, 1978 तक गन्ना सम्बन्धी देयों की उक्त बकाया की उक्त पहली किस्त नहीं चुकाई है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1978 का 49) के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित हो ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध तारीख 2 फरवरी, 1979 को और इससे प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित होगा।

[सं. एस. यू. जी. 144/78-79]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

New Delhi, the 31st January, 1979

ORDER

S.O. 61(E).—Whereas the Central Government being satisfied that as on the 15th day of November, 1978, the Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Limited, (hereafter) in this Order referred to as the said sugar undertaking) manufacturing sugar at Lhaksar in the district of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh has failed to commence manufacture of sugar by the 15th day of November, 1978 ;

And whereas, the said undertaking has, in relation to the cane purchased before the 15th day of November, 1978, arrears of cane dues to the extent of more than ten per cent of the total price of the cane so purchased for the purposes of the said sugar undertaking during the 1977-78 sugar year ;

And whereas, the Central Government on the 19th and 22nd days of November, 1978 issued Notices No. SUG/144/78-79 under sub-section (1) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978) to the owner of the said sugar undertaking calling upon him to report in writing within seven days from the date of receipt of the said notices the circumstances under which the said sugar undertaking has ;

(i) failed to commence the manufacture of sugar on or before the 15th day of November, 1978 and

(ii) failed to clear the said arrears of cane dues,

and to show cause as to why the management of the said sugar undertaking should not be taken over by the Central Government ;

And whereas, the Central Government, having considered the report dated the 27th day of November, 1978 sent by the Director on behalf of the said sugar undertaking, specified in its order No. SUG./144/78-79 dated 14th December 1978, the manner in which the said sugar undertaking should clear the said arrears of cane dues in three instalments, the first instalment of Rs. 58.83 lakhs being payable by the 28th December, 1978 ;

And whereas the said sugar undertaking has not paid the said first instalment of the said arrears of cane dues by the 28th December, 1978 the date specified by the Central Government ;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary for the purposes of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (No. 49 of 1978) that the management of the said sugar undertaking shall be vested in the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby declares that the management of the said sugar undertaking shall vest in the Central Government for a period of three years commencing on and from the 2nd day of February, 1979.

[No. SUG/144/78-79]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979